2023/722

238/23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांकः–10/05/2023

क्रमांकः–भू.अ./23 /46.

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लाड कंवर पिता केसरसिंह नि. बिलोरा के राजस्व ग्राम बिलोरा में जमाबन्दी संवत 2078 की खाता संख्या 110, 111 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. प.ह. सेमलिया ने सम्मानजनक जाति/नाम लाड कंवर किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम लाडकंवर का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातिया (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघंन भी नही होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

10/5/23

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक–10/05/2023

क्रमांकः–रीडर/23 /96

निमित्त,

पटवार हल्का सेमलिया

विषयः–सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 136

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री लाड कंवर पिता केसरसिंह राजस्व ग्राम बिलोरा प.ह. सेमलिया की खाता संख्या 110, 111 में जाति/नाम लाड कंवर दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लाड कंवर पिता केसरसिंह की जाति/नाम लाड कंवर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. सेमलिया राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि–तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ